संख्या-1/2023/सा0-316 /38-2-2022-35(155)/2010

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी 2023**

विषय:- **नवसृजित जनपद-अमेठी में निर्माणाधीन विकास भवन के संचालन हेतु भवन के अतिरिक्त कार्यों को कराये जाने हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-730/कार्यक्रम बजट अनु0/ सामु0वि0/2021-22, दिनांक 26 अगस्त, 2022 तथा मुख्य विकास अधिकारी अमेठी के पत्रांक-3290/नाजिर नवनिर्मित-विकास भवन/2022-23, दिनांक 20 जुलाई, 2022 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-सा0-89/38-2-2014-35(155)/2010, दिनांक 31-01-2014, शासनादेश संख्या-सा0-12/2015-सा0-392/38-2-2015-35(155)/2010, दिनांक 06-07-2015 एवं शासनादेश संख्या-सा0-5/2021-सा0-369/38-2-2020-35(155)/2010, दिनांक 21-01-2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद-अमेठी में निर्माणाधीन विकास भवन के संचालन हेतु भवन के अतिरिक्त कार्यों को कराये जाने हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित पुनरीक्षित लागत रू0 1286.69 लाख के सापेक्ष नियमानुसार 05 प्रतिशत धनराशि रू0 64.50 लाख को रोकते हुए अवशेष धनराशि रू0 223.19 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि से रू0 158.69 लाख (रूपये एक करोड़ अट्ठावन लाख उनहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04 नवम्बर, 2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों/मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की नी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य संपादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। समय-समय पर स्थलीय अनुरक्षण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(5) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आयुक्त, ग्राम्य विकास, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई- परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।

(8) कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07जून,2022 इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों एवं पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 31-01-2014, 06-07-2015 तथा 21.01.2021 का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(9) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात् किसी प्रकार द्विरावृत्ति न हो। उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(10) स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04 नवम्बर, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु तीन-तीन माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले तीन-तीन माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) किसी भी दशा में परियोजना की लागत का पुन: पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित सहमति के क्रम में आंकलित लागत पर ही कार्य गुणवत्ता युक्त पूर्ण कराया जायेगा। निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय/डाइवर्ट अनुमन्य नहीं होगा। जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(14) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित सीमा तक ही समस्त कर/सेस/चार्ज लिया जायेगा तथा संबंधित को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा तथा प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(16) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का कार्य अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(17) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/ मानकों के अधीन किया जायेगा व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(20) पुनरीक्षित परियोजना में कराये गये कार्यों की लागत को यथावत सम्मिलित करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा वर्क टू बी डन की लागत का परीक्षण किया गया है। वर्क डन के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की लागत का समस्त उत्तरदायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0,लखनऊ /मुख्य विकास अधिकारी,अमेठी एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(21) पुनरीक्षित परियोजना में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्ततन जैसे- प्राविधान एवं डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन, नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(22) परियोजना की कुल स्वीकृति धनराशि रू0 1286.69 लाख का 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 64.50 लाख को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये व्यवस्थानुसार इस शर्त के साथ रोकी जाती है कि उक्त परियोजना का कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त तत्समय शासन द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये** 1,58,69,000 (**रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख उनहत्तर हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 2022-23 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 4515001020300 **जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना) मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- **यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -** 1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या -** 13 / 2022/ **बी-**1-454/**दस-**2022-231/2022, **दिनांक-**07-**जून** 2022 **में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1/2023/सा0-316(1)/38-2-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, अमेठी।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, अमेठी।
6- कोषाधिकारी, अमेठी।
7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अमेठी।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, निर्माण इकाई-फैजाबाद, फैजाबाद।
10 - गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।